न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-424RAAJodhpur2024-242RTA225 Narpatram ors Vs Pemaram etc

1. नरपत पुत्र स्व. भंवरलाल
2. प्रकाश पुत्र स्व. भंवरलाल
3. बेबी पुत्री स्व. भंवरलाल
4. श्रीमती मोवनी पत्नी स्व. भंवरलाल

सभी जातियान् जाट, निवासीगण– कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. पेमाराम पुत्र स्व. खेताराम
2. अर्जुनराम पुत्र स्व. खेताराम
3. रामरख पुत्र हरिकिशन
4. सीतादेवी पत्नी गोकलराम

जातियान् विश्नोई, निवासीगण– रामनगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 04 सितंबर 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2022 पेमाराम बनाम नरपत इत्यादि

उपस्थित–

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से चार

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 02 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2022 पेमाराम बनाम नरपत इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04 सितंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 968 रकबा 3.6567 हैक्टेयर ग्राम रामनगर, तहसील बिलाड़ा में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 967/3 रकबा 2.0549 हैक्टेयर में सें मार्क अ.ब.स.द. रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 सितंबर 2024 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक से चार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 968 रकबा 3.6567 हैक्टेयर में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 967/3 की दक्षिण–पूर्वी माठ के सहारे सहारे नया रास्ता कायम करना चाहते हैं, जबकि रेस्पोडेण्ट्स को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 968 में जाने के लिए दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं, जो खसरा नम्बर 965 गैर मुमकिन रास्ता के दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 966 के उत्तरी पूर्वी दिशा के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 968 में पहुंचता है। उक्त रास्ता रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. है तथा उक्त रास्ता सबसे निकटतम है। इसी प्रकार दूसरा वैकल्पिक रास्ता भूमि खसरा नम्बर 950 गैर मुमकिन रास्ता के पूर्वी दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 966 के पश्चिमी दक्षिणी दिशा के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 968 में पहुंचता है. जो रास्ता मार्क ई.एफ.जी.एच. है। इसी रास्ते से रेस्पोडेंट्स का आवागमन रहा है। रेस्पोडेंट्स अपने वाहन, ट्रैक्टर मोटरसाइकिल आदि के साधन लेकर खसरा नम्बर 968 में पहुंचते हैं, लेकिन भू अभिलेख निरीक्षक ने बिना कोई दस्तावेजो की जॉच किये तथा बिना मौके पर जाकर नाप आदि किये नया रास्ता स्थापित कर दिया गया है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि ग्राम रामनगर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 968 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी पूर्व में खेता वल्द प्रभु जाति विश्नोई निवासी कापरडा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की थी। इसी प्रकार ग्राम रामनगर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 966 रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी पूर्व में निम्बा वल्द प्रभु जाति विश्नोई निवासी कापरडा की थी। खसरा नम्बर 968 के खातेदार खेताराम तथा खसरा नम्बर 966 के खातेदार निम्बाराम दोनों आपस मे सगे भाई है जो प्रभुराम विश्नोई के जायन्दा पुत्र है तथा दोनो अपने पिता प्रभुराम के साथ में रहते थे। खसरा नम्बर 968 व खसरा नम्बर 966 की भूमि एक ही लाईन में आयी हुयी है तथा दोनों खसरा नम्बर 966 की पूर्वी दक्षिणी माठ व खसरा नम्बर 968 की उत्तरी पश्चिमी गाठ लगती है। दोनो खेत खसरा नम्बर 968, 966 पडौसी खेत हैं। रेस्पोडेंट्स ने अपनी पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 966, 968 पर काश्त कार्य अपने पिता प्रभुराम के साथ किया है। जब खसरा नम्बर 966 रेस्पोडेंट्स का निजी पुश्तैनी खेत उपलब्ध है तो अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरा नम्बर 967/3 में से मार्क अ, ब, स, द रास्ते की कुल लंबाई 84 गट्टा बतायी है। इसके विपरीत खसरा नम्बर 950 गै. मु रास्ता के दक्षिण दिशा की ओर स्थित खसरा नम्बर 966 की उतरी पूर्वी दिशा की माठ से होकर मार्क ABCD रास्ता की दूरी मात्र 44 गट्टा ही बनती है जो भूमि का रकबा न्युनतम होता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 966 में से वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित है जो रास्ता भी न्यूनतम 44 गट्टा में ही उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की भूमि में से नवीन रास्ता दिये जाने का आदेश विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। मौका कमीश्नर द्वारा अपीलांट्स को नोटिस या सूचना दिये बिना एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धात है कि किसी भी व्यक्ति के हितों को प्रभावित करने वाली कोई मौका रिपोर्ट नोटिस या सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में एकपक्षीय एवं नियम विरूद्ध तैयार मौका रिपोर्ट पर पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 सितंबर 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध निकटतम रास्ते बाबत पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर प्रार्थना पत्र के विधिनुसार निस्तारण हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायमान है। अपीलांट्स खसरा नंबर 967/3 के खरीददार है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट्स के रिश्तेदारों की ही भूमि रही थी, जिसमें से रास्ता चलायमान है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा नियमानुसार मौका फर्द तैयार की है तथा मौके पर अपीलाधीन रास्ता चालू पाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 26.06.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ते के बजाय खसरा नंबर 966 में से लघुतम रास्ता प्रतीत होता है। रेस्पोडेंट संख्या एक से चार द्वारा खसरा नंबर 966 के खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों की जांच किये बिना अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया है, जिससे भूमि का अधिक रकबा रास्ते के रूप में व्यर्थ होगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2022 पेमाराम बनाम नरपत इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04 सितंबर 2024 को अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह रेस्पोडेंट संख्या एक से चार के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की उभय पक्ष की उपस्थिति में जांच कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथा आवश्यकता होने पर हितबद्ध खातेदारान् को प्रकरण में पक्षकार संयोजित करते हुए उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निकटतम रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर